



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

प्रो. कृष्ण कुमार सिंह
कार्यकारी कुलसचिव
Prof. Krishna Kumar Singh
Acting Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 003 / 2003 / का.आ. / 02-41 / 2019
दिनांक : 10.07.2019

परिपत्र

यह संज्ञान में आया है कि विश्वविद्यालय के अध्यापक एवं अधिकारी विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यों के लिए अंग्रेजी में पत्र लिख रहे हैं जबकि हिंदी भाषा के विस्तार एवं प्रचार के लिए स्थापित इस विश्वविद्यालय के कामकाज की भाषा हिंदी है। हिंदी के स्थान पर अन्य भाषा में पत्र व्यवहार करना उचित नहीं है।

समस्त अध्यापकों एवं अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि समस्त पत्र व्यवहार हिंदी भाषा में ही करने का कष्ट करें।

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के निर्देशानुसार जारी किया जाता है।

(कुलसचिव)

प्रति :

समस्त अध्यापक एवं अधिकारी (ईमेल द्वारा)

प्रतिलिपि :

1. कुलपति कार्यालय, म.गां.अं.हिं.वि., वर्धा
2. विश्वविद्यालय वेबसाइट
3. संबंधित पत्रावली